

पत्रांक 1654/36सी.
सेवा में,

दिनांक रानीखेत, मई 21, 2019.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में तिमिलटनोला, आरुसारी विरोट, भीमीटोला हेतु हुल् तलाई तक मो० मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या-18882/2016)

विषय :- EDS Date 27.02.2019।



महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है—

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal [Online para-A-1(iii) of Part-I] It should give comprehensive details of the project in brief.	प्रस्ताव के बारे में औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण पत्र तैयार कर पार्ट-1 के पैरा A-1 (iii) में अपलोड कर दिया गया है।
2.	User agency may review employment generation detail at section E in Form A, Part-I. please rectify.	इम्प्लाइमेंट जनरेशन डिटेल ठीक कर पार्ट-1 के सैक्शन E में अंकित कर दी गयी है।
3.	A rea mentioned in Village wish breakup at B-2.3 and component wise breakup at B-2.4 is mismatch in figure in Form A, Part I, please rectify accordingly.	ग्राम वाईज ब्रेकअप व कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेक का मिलान कर सही कर ग्राम वाईज पार्ट-1 के B 2.3 व कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप पार्ट-1 के 2.4 में अंकित कर दी गयी है।
4.	Provide Separate component wise break up in B-2.4 as in following way :- a- Road b- Muck dumping	कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप पार्ट 1 के 2.4 में मोटर मार्ग व मक डिस्पोजल के क्षेत्रफल अंकित कर दी गयी है।
5.	User agency may uploaded clear and original copy of FRA with provide village level committee (VLC) proceeding for each village separate with seprate attendance sheet according to filled details B-2.3-village wise breakup along FRA may also be provide and upload in Para K part I	वनाधिकार प्रमाण पत्र की मूल प्रति में ग्राम स्तरीय कमेटी के सभी प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित पार्ट-1 के सैक्शन K में ऑन लाइन कर दी गयी है।
6.	Google map has been uploaded in the place of GPS map at section C (iv) in Form A, Part I. please Rectify.	गुगल मानचित्र के स्थान पर section C (iv) Form A पार्ट-1 में जी.पी.एस. मानचित्र अपलोड कर दिया गया है।
7.	Google map has been uploaded in the place of alternate alignment at section D (ii) in Form A, part I. please rectify.	एलटरनेट एलाइमेंट D (ii) Form A पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है।
8.	A rea mention in land scheduled is 6.480 ha however proposed is for 0.945 ha is mention which is incorrect as additional information in Form A, Part I.	प्रभावित होने वाली सिविल सोयम भूमि 0.135हे० व वन पंचायत भूमि 0.810हे० है इस प्रकार कुल 0.945हे० वन भूमि प्रभावित होती है तथा 5.353 हे० नाप भूमि प्रभावित होती है इस प्रकार मोटर मार्ग निर्माण में कुल 6.480हे० भूमि प्रभावित होती है।

क्रमशः पेज-2 पर

9	The certificate of aerial distance of the project area in not found uploaded in Form A, Part I.	मोटर मार्ग से नेशनल कार्बेट पार्क रामनगर की दूरी का प्रमाण पत्र पार्ट-1 के एडिशनल इनफोरमेशन में अपलोड कर दिया गया है।
10	Some other documents has been uploaded in the place of NPV calculation details as additional information in Form A, Part I.	एडिशनल इनफोरमेशन फॉर्म A पार्ट-1 में NPV calculation Sheet को फॉर्म A Part-I में अपलोड कर दिया गया है।
11	In additional information name is not given in remarks column at para-13 in Form A Part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
12	Land scheduled is not uploaded as additional information in Form A, Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
13	NPV calculation detail in not uploaded as additional information in Form A, Part III.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
14	Wildlife detail is not filled in para 8(i) in Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।


 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत